

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-17/विविध-01-206/2024 - 643(17)

पटना, दिनांक :- 13/06/2025

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों तथा अन्य चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत निम्नांकित सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर/चिकित्सा पदाधिकारी को NEET-SS 2024/INI-SS July, 2025 के Counselling में भाग लेने/नामांकन हेतु विभागीय आदेश संख्या-914(1) दिनांक-06.10.2020-सह-पठित-शुद्धि पत्र संख्या-915(1) दिनांक-10.10.2020 में निहित शर्तों के आलोक में अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि नामांकन नहीं होने अथवा चयनोपरान्त अध्ययन अवकाश पूर्ण करने के तत्काल बाद तीन वर्षीय बॉण्ड सेवा पूर्ण करेंगे :-

क्र० सं०	नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति का पत्रांक एवं दिनांक	विभाग, पदस्थापित चिकित्सा संस्थान का नाम	अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयोजन
1	2	3	4	5	6
01	RATAN KUMAR GUPTA	15-Jul-95	657(17) 27.06.2023	Orthopaedics, PMCH, Patna	NEET-SS-2024
02	SANTOSH KUMAR	29-12-1991	52(17) 11.01.2025	Neuro Surgery, DMCH, Darbhanga	NEET-SS-2024
03	SANGEETA	Apr 25 1996	595(17), 05.06.2025	SDH, Kahalgaon, Bhagalpur	NEET-SS-2024
04	RAGHVENDRA RANJAN	Jun 6 1995	595(17), 05.06.2025	SH, Samastipur	NEET-SS-2024
05	SWETA SHAW	Jun 25 1996	595(17), 05.06.2025	SDH, Danapur, Patna	NEET-SS-2024
06	RASHMI KUMARI SONI	Mar 16 1996	595(17), 05.06.2025	SDH, Danapur, Patna	NEET-SS-2024
07	SAURAV KUMAR PAUL	Aug 6 1995	595(17), 05.06.2025	RH, Chakai, Jamui	NEET-SS-2024
08	NIKHIL KUMAR SHARMA	Apr 28 1993	595(17), 05.06.2025	SDH, Tekari, Gaya	INI-SS July 2025

2. संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा उपर्युक्त आदेश में निहित शर्तों के आलोक में संबंधित चिकित्सक से उच्चतर शिक्षा (NEET-SS-2024/ INI-SS July 2025) पाठ्यक्रम हेतु आवंटित संस्थान का साक्ष्य एवं शपथ-पत्र प्राप्त कर उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रम करने के लिए ही अग्रेतर कार्यवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।



ह०/-
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

- प्रतिलिपि:-** महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:-** प्राचार्य/अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशित है कि विभागीय आदेश संख्या-914(1) दिनांक-06.10.2020 सह-पठित-शुद्धि पत्र संख्या 915(1) दिनांक-10.10.2020 में निहित शर्तों के आलोक में संबंधित चिकित्सक से आवश्यक शपथ-पत्र प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि:-** संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित सिविल सर्जन/निदेशक/अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:-** संबंधित सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर/चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:-** माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 02, 03, 08, 09 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:-** आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Dev Kumar
13/06/25
विशेष कार्य पदाधिकारी।